रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032022-234005
CG-DL-E-09032022-234005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 996] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943
No. 996] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2022

का.आ. 1027(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों विषयक आदेश, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में, पैरा 3क के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"3ख भारत में रहने के दौरान वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज धारण करने की अपेक्षा.- इस आदेश के निबंधनों या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 4 में जैसा उपबंधित है, अन्यथा के सिवाय कोई विदेशी यथा स्थिति, भारत में रहने के दौरान वैध पासपोर्ट या पासपोर्ट से संबंधित अन्य वैध यात्रा दस्तावेज, धारण करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनार्थ, "अन्य वैध यात्रा दस्तावेज" के अंतर्गत आपातकालीन प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र या किसी विदेशी राष्ट्र की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी ऐसे अन्य दस्तावेज भी शामिल है जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के अधीन बनाए गए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं"।

3. उक्त आदेश में, पैरा 16 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"17. इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट या आवेदन या सूचना.- (1) इस आदेश के अधीन कोई रिपोर्ट या आवेदन या सूचना, यथा स्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सिविल प्राधिकारी, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

(2) यथा स्थिति, रिपोर्ट या आवेदन या सूचना, प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सिविल प्राधिकारी, रिपोर्ट या आवेदन या सूचना की सत्यता का सत्यापन करेगा और वह, यदि आवश्यक समझे तो, आवेदक या सूचना प्रदाता को इस पैरा के प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुला सकेगा "।

[फा.सं. 25022/44/2021-एफ.I]

सुमन्त सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश, तारीख 14 फरवरी, 1948 द्वारा भारत के राजपत्र मे संख्याक 9/9/46 -राजनीतिक (ईडब्ल्यू) में प्रकाशित किए गए थे और संख्याक का. आ. 5471 (अ) तारीख 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2022

S.O. 1027(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foreigners Order, 1948 (hereafter referred to as the said order) after paragraph 3A, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"3B Requirement of holding a valid passport or other valid travel document while living in India.- Save as otherwise provided in terms of this Order or rule 4 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950, a foreigner shall hold a valid passport or other valid travel document relating to passport, as the case may be, while living in India.

Explanation.- For the purpose of this paragraph, "other valid travel document" includes emergency certificate or certificate of identity or such other document which has been issued by or under the authority of the Government of a foreign country satisfying the conditions specified in the Passport (Entry into India) Rules, 1950 as made under the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920)".

3. In the said Order, after paragraph 16, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"17. Reports or application or information to be submitted in electronic form.- (1) Any report or application or information under this order, shall be submitted to the Registration Officer or the civil authority, as the case may be, through the electronic mode.

(2) On receipt of report or application or information, as the case may be, the Registration Officer or the civil authority shall verify genuineness of the report or application or information and, he may, if considered necessary, call upon the applicant or the informant for personal appearance of the applicant or informant for the purpose of this paragraph".

[F. No. 25022/44/2021-F.I]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.

Note :- The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. 9/9/46-Political (EW), dated the 14th February, 1948 and last amended *vide* number S.O. 5471(E), dated the 19th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.09 16:47:00 +05'30'